# चित्रकूट-पुलिस

## (1). लाइसेंसी बंदूक व कारतूस चोरी की घटना का सफल अनावरण 03 चोर गिरफ्तार, चोरी की लाइसेंसी बंदूक,कारतूस बरामद

पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री राज कमल के पर्यवेक्षण में एसओजी व थाना भरतकूप पुलिस की संयुक्त टीम ने लाइसेंसी बंदूक चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुये 03 चोरों को चोरी की लाइसेंसी बंदूक 12 बोर, 06 कारतूस 12 बोर व चोरी का 4860/- रुपये के साथ गिरफ्तार किया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः-**

1.अतीक उल्ला उर्फ अब्दुल पुत्र जलील खांन उम्र करीब 22 वर्ष निवासी भीती थाना कमासिन जनपद बाँदा
2.देव रैकवार पुत्र शम्भू रैकवार उम्र करीब 19 वर्ष निवासी पुरानी बाजार कर्वी कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट
3.बाल अपचारी

**बरामदगीः-**

(I). चोरी की लाइसेंसी बंदूक 12 बोर
(II).06 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर
(III).चोरी के 4860/- रुपये

**गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समयः-**

**सभापुर बराछ मोड़,** बहद ग्राम सभापुर बराछ थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट **दिनांक** 02.08.2024 **समय** 05.30 बजे

**अभियुक्त देव रैकवार का अपराधिक इतिहासः-**

(I).मु0अ0सं0 340/2023 धारा 147,323,504,506 भादवि0 कोतवाली कर्वी
(II).मु0अ0सं0 23/2024 धारा 147,323,332,353,427,504,506 भादवि0 कोतवाली कर्वी
(III). मु0अ0सं0 108/24 धारा 331(4),305,317(2) बीएनएस थाना भरतकूप

**संक्षिप्त विवरणः-**

उल्लेखनीय है कि **दिनाँक 13.07.2024** को वादी श्यामलाल पुत्र रामरतन निवासी विकास नगर मजरा भरतकूप थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट द्वारा थाना भरतकूप मे सूचना दी गयी थी कि अज्ञात चोरों ने रात्रि में उनके घर में घुसकर उनकी लाइसेंसी बंदूक 12 बोर व 11 कारतूस मय पट्टा तथा 70 हजार रुपये नगद चोरी कर ली है। इस सूचना पर थाना भरतकूप में मु0अ0सं0 108/2024 धारा 331(4),305 बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा घटना का संज्ञान लेकर घटना के शीघ्र अनावरण हेतु थानाध्यक्ष भरतकूप एवं एसओजी प्रभारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये थे।

घटना के अनावरण के क्रम में आज दिनाँक 02.08.2024 को सुबह 05.30 बजे एसओजी एवं थाना भरतकूप की टीमों द्वारा अथक प्रयास करते हुये पारम्परिक स्रोतों के माध्यम से विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्त 1.अतीक उल्ला उर्फ अब्दुल पुत्र जलील खांन उम्र करीब 22 वर्ष निवासी भीती थाना कमासिन जनपद बाँदा 2.देव रैकवार पुत्र शम्भू रैकवार उम्र करीब 19 वर्ष निवासी पुरानी बाजार कर्वी कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट 3.एक बाल अपचारी को

सभापुर बराछ मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों की जामा तलाशी से अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की लाइसेंसी बंदूक 12 बोर 06 जिन्दा कारतूस 12 बोर व चोरी के 4860/- रुपये बरामद किये गये।

अभियुक्तों से कड़ाई से पूंछतांछ की गयी तो बताया कि हम लोगों ने दिनाँक 12/13.07.2024 की रात्रि में 12/13.07.2024 की रात्रि में भरतकूप में भरत मंदिर की और जाने वाली सड़क में एक घर में हमने अपने साथी थोपू उर्क राजेश यादव के साथ चोरी की थी जिसमें 70 हजार रूपया व एक लाइसेन्सी बन्दूक तथा 11 कारतूस मय पटटा के एक की-पैड मोबाइल चोरी किया था मोबाइल को पकडे जाने के डर से रात में ही चलते हुये रास्ते में बंद करके फेक दिया था। हम लोगो को थोपू उर्क राजेश यादव के द्वारा 10-10 हजार रूपये और 2-2 कारतूस तथा बेचने के लिये बन्दूक दी थी शेष 40 हजार रूपया 5 कारतूस मय पटटा के थोपू लेकर चला गया था। कुछ दिन पहले थोपू उर्फ राजेश यादव कोतवाली कवी के किसी मुकदमे में अदालत में हाजिर हो गया है जो अभी जेल में है। आज हम बन्दूक व कारतूस को बेचने के लिये जा रहे थे कि आप लोगो ने हमे पकड़ लिया साहब जो पैसा हम लोगों से मिला है वह चोरी किया हुआ रुपया है, बाकी पैसा हम लोगो ने खर्च कर लिया है।

चोरी की लाइसेंसी बंदूक, कारतूस व रुपया बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी।

**गिरफ्तार करने वाली टीमः-**

**एसओजी टीमः-**

1. निरीक्षक श्री एमपी. त्रिपाठी एसओजी प्रभारी
2. मुख्य आरक्षी जितेन्द्र
3. आरक्षी रोहित सिंह
4. आरक्षी गोलू भार्गव
5. आरक्षी पवन राजपूत
6.आरक्षी राघवेन्द्र
7.आरक्षी ज्ञानेश मिश्रा
8.आरक्षी रोशन सिंह

**गिरफ्तार करने वाली थाना भरतकूप की टीमः-**

1.थानाध्यक्ष भरतकूप श्री प्रवीण कुमार सिंह
2.उ0नि0 श्री राहुल पाण्डेय
3.आरक्षी संदीप राजपूत
4.आरक्षी रणवीर सिंह
5.आरक्षी सतीश कुमार

## (2). खोये/गुमशुदा मोबाइल फोन पाकर मोबाइल धारकों के चेहरे पर लौटी मुस्कान गुमशुदा/खोए हुए 75 अदद मोबाइल फोन (अनुमानित कीमत लगभग 12 लाख 50 हजार रूपये) बरामद

पुलिस अधीक्षक चित्रकूट अरूण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी के पर्यवेक्षण में प्रभारी एसओजी/सर्विलांस निरीक्षक श्री एम.पी. त्रिपाठी के नेतृत्व में एसओजी/सर्विलांस टीम द्वारा गुमशुदा/खोये हुए कुल 75 अदद मोबाइल फोन जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 12 लाख 50 हजार रूपये है को बरामद किया गया।

उल्लेखनीय है कि गुम/खोए हुए मोबाइल के धारकों द्वारा पुलिस अधीक्षक के समक्ष अपना मोबाइल खोने के सम्बन्ध में पूर्व में विभिन्न तिथियों में प्रार्थना पत्र दिये गये थे, जिस क्रम में पुलिस अधीक्षक द्वारा एसओजी/सर्विलांस टीम को गुम/खोए हुए मोबाइल फोन की बरामदगी हेतु निर्देश दिये गये थे। प्रभारी सर्विलांस/स्वाट टीम निरीक्षक श्री एम.पी. त्रिपाठी के नेतृत्व में सर्विलांस/स्वाट टीम द्वारा लगातार प्रयास करते हुए 75 गुमशुदा/खोए हुए मोबाइलों की बरामदगी करते हुए आज दिनाँक-02.08.2024 को मोबाइल धारकों को सुपुर्द किया गया।

**बरामदगीः-**

75 अदद मोबाइल फोन (अनुमानित कीमत लगभग 12 लाख 50 हजार रूपये)

**बरामदगी करने वाली टीमः-**

1.प्रभारी एसओजी/सर्विलांस निरीक्षक श्री एम.पी. त्रिपाठी
2.मुख्य आरक्षी नीतेश समाधिया
3.मुख्य आरक्षी जितेन्द्र कुमार
4.आरक्षी रोहित सिंह
5.आरक्षी आशीष यादव
6.आरक्षी ज्ञानेश मिश्रा
7.आरक्षी पवन राजपूत
8.आरक्षी राघवेन्द्र
9.आरक्षी रोशन सिंह
10.आरक्षी गोलू भार्गव

**(3).** नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 02.08.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की

**(4).** आज दिनाँक 02.08.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में श्रवण मास के दौरान शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया । पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी ।

**(5).** पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री गौरव तिवारी एवं उनके हमराही द्वारा अभियुक्त आशिफ खां पुत्र अकबर खां निवासी शिवरामपुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में धारा 03/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया ।

**बरामदगीः-**

01 अदद तमंचा व 01 अदद कारतूस 315 बोर

**गिरफ्तार करने वाली टीमः-**

1.उ0नि0 श्री गौरव तिवारी थाना कोतवाली कर्वी

2.आरक्षी पवन राजपूत

**(6).** आज दिनाँक 02.08.2024 को पुलिस उपमहानिरीक्षक चित्रकूटधाम परिक्षेत्र, बांदा श्री अजय कुमार सिंह द्वारा पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह की उपस्थिति में पुलिस लाइन्स में भ्रमण कर वार्षिक निरीक्षण किया गया । निरीक्षण के दौरान महोदय द्वारा क्वार्टर गार्द में सलामी ली गयी तथा जवानों को स्टैण्ड-टू की कार्यवाही कराकर जवानों से आर. का फायर पूंछा गया । स्टोर में भ्रमण कर कण्डम सामान चेक किया गया सभी समान व्यवस्थित ढंग से पाया गया तथा प्रतिसार निरीक्षक को बताया गया कि स्टोर में रखे दंगा नियंत्रण उपकरणों को अधिक से अधिक थानों में वितरित किये जायें। तत्पश्चात आर्मरी का निरीक्षण कर शस्त्रों की जांच की गयी एवं शस्त्रों के रख-रखाव सही पाया गया। परिवहन शाखा का निरीक्षण कर वाहनों के उपकरण चेक किये गये तथा वाहनों के मीटर देखे गये। मेस का निरीक्षण कर सप्ताहित मेन्यू देख गया, भोजन की गुणवत्ता परखी गयी तथा प्रति जवान पर आने वाली डाइट के सम्बन्ध में जानकारी ली गयी। सीपीसी कैन्टीन में भ्रमण किया गया, सामान का रख-रखाव अच्छा पाया गया तथा कैंटीन प्रभारी से प्रति जावन को एक माह में कितने तक की खरीदारी करने की सीमा पूंछी गयी । आवासीय परिसर का भ्रमण कर प्रतिसार निरीक्षक को साफ-सफाई हेतु निर्देशित किया गया। अर्दली रुम में जाकर अनुसाशन रजिस्टर,डिफाल्टर रजिस्टर व हिन्दी आदेस पुस्तिका चेक की गयी ।

इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी, क्षेत्राधिकारी नगर/कार्यालय श्री राज कमल, प्रतिसार निरीक्षक श्री शिवनारायण, पीआरओ डीआईजी महोदय श्री मिथिलेश कुमार सिंह, सीए डीआईजी महोदय श्री महेश प्रसाद सिन्हा, पीआरओ श्री प्रवीण कुमार सिंह एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

**(7).** आज दिनाँक 02.08.2024 को पुलिस उपमहानिरीक्षक चित्रकूटधाम परिक्षेत्र, बांदा श्री अजय कुमार सिंह द्वारा पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह की उपस्थिति में राजापुर का वार्षिक निरीक्षण किया गया। सलामी गार्ड द्वारा महोदय को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। निरीक्षण के दौरान महोदय द्वारा हवालात,cctns कक्ष,थाना कार्यालय, शस्त्रागार,बैरिक मालखाना का भ्रमण कर थाने में लगे सीसीटीवी कैमरे की चेकिंग की गई तथा साफ_सफाई से रखने हेतु व मुकदमों से सम्बन्धित वाहनों/माल के निस्तारण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया।
महोदय द्वारा थाना कार्यालय में रखे रजिस्टर नंबर 8,प्लाई सीट रजिस्टर, कैश बुक, एनसीआर रजिस्टर, गोपनीय पुस्तिका, पंचायतनामा रजिस्टर, बीट बुक कर्मचारीगण, बीट रजिस्टर, ऑर्डर बुक रजिस्टर, गुंडा रजिस्टर, महिला हेल्प रजिस्टर, आगंतुक रजिस्टर, हवालात रजिस्टर, माल मसरूका रजिस्टर, फर्द अ- ब रजिस्टर, त्यौहार रजिस्टर, शस्त्र रजिस्टर, अपराध रजिस्टर, चौकीदार की गोष्ठी आदि की रजिस्टर चेकिंग की गई तथा प्रभारी निरीक्षक राजापुर को अध्यावधिक करने हेतु निर्देशित किया गया। इस दौरान महोदय द्वारा कहा गया कि थाने पर आने वाले फरियादियों की बात शालीनता से सुनी जाये, जिससे वह अपनी शिकायत निर्भीक होकर आपसे बता सके तथा फरियादियों की समस्याओं का निस्तारण कराया जाय।
निरीक्षण के दौरान क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय, प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री मनोज कुमार, पीआरओ डीआईजी महोदय श्री मिथिलेश कुमार सिंह, सीए डीआईजी महोदय श्री महेश प्रसाद सिन्हा, पीआरओ श्री प्रवीण कुमार सिंह एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।